ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110002

BY SPEED POST

No.F.1-1/2002(PS)/Exemp. Part file-III **March, 2011**

The Publication Officer for posting it on UGC Website

Subject: UGC Regulations on Minimum Standards and Procedure for the award of M.Phil/Ph.D Degree, Regulations 2009. And clarification on guidelines for admission in Ph.D

Sir /Madam,

In continuation of this office letter of even number dated 12.6.2009 UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations 2009, notified in the Gazette of India on 11-17th July, 2009, I am, directed, to say that the same criteria for admission to Ph.D should be followed in respect of NET qualified candidates also as is being followed for persons having qualifications as laid down under procedure for admission in para 9 (i) of the aforementioned UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations 2009.

The contents of this letter may be brought to the notice of all the affiliated / recognized Colleges / Institutions of your University for information.

Yours faithfully,

B.K. Singh

(B.K.Singh)
Deputy Secretary

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2009 (आषाढ़ 20, 1931)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2009 (ASADHA 20, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 1 जून 2009

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009

एफ. 1-1/2002 (पी.एस.) छूट--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ई.) एवं (जी.) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को निर्मित करता है। ये हैं :--

संक्षिप्त नाम, प्रयोग एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 कहलायेंगे।

2. ये उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना अथवा समावेश किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत की गई हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय के परामर्श से प्रत्येक संस्थान उसके अंग या सम्बद्ध कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद (एफ) धारा 2 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

3. ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

4. समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं एम.फिल. एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पात्रित होंगे।

5. यद्यपि इन विनियमों के होते हुए और कोई अन्य नियम या विनियम किसी समय पर लागू होने पर भी कोई भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था एम.फिल. एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों को दूरस्थ माध्यम से संचालित नहीं करेगा।

एम.फिल./पीएच.डी. निरीक्षकों के लिए पात्रता मापदण्ड

6. मान्यता प्राप्त होने वाले शोध निरीक्षक के संकाय के लिए समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था एम.फिल. एवं पीएच.डी. दोनों कार्यक्रमों के लिए पात्रता मापदण्डों का निर्धारण करेगी।

7. समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, वार्षिक आधार पर संकाय में उपलब्ध पात्रित निरीक्षकों की संख्या के आधार पर एम.फिल एवं शोध छात्रों की संचालीय संख्या को सुनिश्चित करेंगे।

8. एम.फिल./पीएच.डी. की सीटों की संख्या काफी पहले निर्धारित कर ली जाएगी एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं विज्ञापन पर अधिसूचित की जाएगी। एम.फिल./पीएच.डी. अध्ययनों की उपलब्ध सीटों की संख्या को व्यापक रूप से सभी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं प्रचार करेंगी और प्रवेश को नियमित आधार पर संचालित करेंगे।

प्रवेश की प्रक्रिया

9 (i) समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं एम.फिल. एवं शोध छात्रों का प्रवेश अपने स्तर पर विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा। जो लोग वि.अ.आ./सी.एस.आई.आर. (जे.आर.एफ.) परीक्षा, स्लेट/गेट उत्तीर्ण हैं या शिक्षक अध्ययातिवृत्तियाँ धारक हैं और जिन्होंने एम.फिल. कार्यक्रम पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कर लिया है उनके लिए विश्वविद्यालय अलग से शर्तों का निर्धारण कर सकता है। यही तरीका एम.फिल. कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में अपनाया जा सकता है।

(ii) इसके पश्चात् स्कूल/विभाग/संस्था/विश्वविद्यालय जैसा मामला हो एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शोध छात्रों से अपेक्षा की जाती है वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर विचार-विमर्श करें।

(iv) पहले से सुनिश्चित की गई छात्रों की संख्या पर ही छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा।

10. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश या तो सीधे या एम.फिल. माध्यम से होगा।

11. एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के दौरान विभाग/संस्था/स्कूल को राष्ट्रीय/राज्य की आरक्षण नीति का पर्याप्त ध्यान रखें।

निरीक्षक का विनियोजन

12. चयनित छात्रों के लिए निरीक्षकों का विनियोजन औपचारिक तरीके से विभागों द्वारा निर्धारित किया जाएगा जोकि प्रत्येक छात्रों एवं संकाय सदस्य की संख्या, उपलब्ध संकाय, निरीक्षकों की विशेषज्ञता एवं छात्रों के शोध रुचि पर आधारित होगा। व्यक्तिगत छात्र एवं शिक्षक पर निरीक्षक का आवंटन/विनियोजन नहीं छोड़ा जाएगा।

पाठ्यक्रम कार्य

13. प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक एम.फिल./पीएच.डी. छात्र को विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, कालेजों/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा आवश्यक, जैसा कि मामला हो, न्यूनतम एक (1) सेमेस्टरों की अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्य को करना होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. की तैयारी का माना जाएगा और जो निश्चित रूप से शोध पद्धति का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा इसमें उपर्युक्त क्षेत्र में किए गये शोध प्रकाशनों की भी समीक्षा शामिल है। प्रत्येक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयों एवं

कालेजों/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं जैसा कि मामला हो न्यूनतम अर्हकारी आवश्यकता को निर्धारित करेंगे और आगे छात्र शोधग्रंथ लिखने के लिए अनुमति देंगे।

मूल्यांकन एवं निर्धारित विधि

14. पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध पद्धति को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के पश्चात् जो एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम का एक अंग है, एम.फिल./पीएच.डी. शोध छात्र, शोध कार्य को प्रारंभ करेगा और उचित सीमा अवधि के भीतर अपने शोधग्रंथ ड्राफ्ट को प्रस्तुत करेगा जैसा कि सम्बद्ध संस्थाएं निर्धारित करेंगी।

15. शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व छात्र को विभाग में एक पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. प्रस्तुतीकरण करना पड़ेगा जोकि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोध छात्रों के लिए खुला होगा ताकि टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हो सकें जिनको निरीक्षक के सुझाव पर, ड्राफ्ट शोध ग्रंथ में सम्मिलित किया जा सके।

16. शोधग्रंथ को प्रस्तुत करने के पूर्व शोध छात्र एक शोध पत्र निर्दिष्ट पत्रिका में प्रकाशित निर्णय हेतु कराएगा एवं रीप्रिंट या स्वीकृत पत्र के रूप में उनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।

17. संस्थाओं/विभाग में एम.फिल./पीएच.डी. छात्र द्वारा तैयार किए गए शोधग्रंथ को विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था में जैसा मामला हो, जमा करना होगा जिसका मूल्यांकन कम से कम दो विशेषज्ञों जिनमें से एक को राज्य के बाहर का होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, कॉलेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था पर निर्भर होगा कि एक परीक्षक देश के बाहर का हो।

18. संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात् एम.फिल./पीएच.डी.छात्रों को एक मौखिक परीक्षा देनी होगी जिसमें खुले तौर पर, वह बचाव कर सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यास

19. मूल्यांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पूर्ण करने के पश्चात् एवं एम.फिल./पीएच.डी. देने की घोषणा के पश्चात्, विश्वविद्यालय एम.फिल./पीएच.डी. के शोधग्रंथ की सॉफ्ट प्रति वि.अ.आ. को 30 दिनों के भीतर प्रेषित करेगा ताकि उसको इन्फिलिबनेट पर डाल कर उसको समस्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा सके।

20. उपाधि के साथ, उपाधि प्रदत्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय, कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था जैसा कि मामला हो, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उपाधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों एवं इन्हीं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है।

आर. के. चौहान
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2009

एफ 1-1/2002 (पी.एस.) छूट--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की धारा-3) के खण्ड 26 के साथ खंड-14 के अनुच्छेद (ई) एवं (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक 31.07.2002 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति जीविका एवं कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 दिनांक 14.06.2006 को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध

संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2000 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियमों को निर्मित करता है :--

1. संक्षिप्त नाम, उपयोग एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं, (तृतीय संशोधन), 2009 कहलायेंगे।

2. ये उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना या समावेश किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या अंतर्गत की गई हो और आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के परामर्श से प्रत्येक संस्थान, उसके अंग या संबद्ध कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

3. ये विनियम भारत के राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) अधिनियम, 2000 के परिशिष्ट में निम्नलिखित विवरण 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 एवं 1.6.1 में दिया गया है :--

लैक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए, नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनके पास पीएच.डी. उपाधि है। फिर भी, अभ्यर्थियों जिन्होंने एम.फिल. उपाधि सम्पूर्ण कर ली हो या संबंधित विषय में पीएच.डी. 31 दिसम्बर, 1993 तक जमा कर दिया हो, उन्हें नेट की परीक्षा में बैठने से छूट होगी।

उपरोक्त अधिनियम के विवरण 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 एवं 1.6.1. के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद एतद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा कर दिया गया था।

"लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनके पास पीएच.डी. उपाधि है। फिर भी, अभ्यर्थियों जिन्होंने एम.फिल. उपाधि 31 दिसम्बर, 1993 तक सम्पूर्ण कर ली हो या सम्बद्ध विषय में पीएच. डी. 31 दिसम्बर, 2000 तक जमा कर दी हो, उन्हें नेट की परीक्षा में बैठने से छूट होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने में असफल होते हैं तो उन्हें नेट परीक्षा पास करनी होगी।"

आगे, उपरोक्त प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे और संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 के स्थान पर लाया गया और लागू किया गया। पुन: निम्नलिखित प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं उनसे संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 में लाया गया था :

"लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है। फिर भी, जिन अभ्यर्थियों के पास संबद्ध विषय में पीएच.डी. उपाधि है उन्हें स्नातकोत्तर स्तर एवं स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए नेट से छूट होगी। अभ्यर्थियों, जिसके पास सम्बद्ध विषय में एम.फिल. उपाधि है उन्हें केवल स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए नेट से छूट होगी।"

अब उपरोक्त प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद कर दिया गया :

विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं में सहायक प्राचार्य के भर्ती और नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सर्वदा न्यूनतम पात्रता की शर्त होगी।

बशर्ते कि यदि अभ्यर्थियों,जो कि पीएच.डी. हैं या जिनको पीएच.डी. उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पीएचडी. उपाधि प्रदान हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं प्रक्रिया) अधिनियम, 2009 के अनुपालन द्वारा दी गई हो, उन्हें विश्वविद्यालय/कालेजों/संस्थाओं में शिक्षकों या समतुल्य पदों के भर्ती और नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त की अर्हता से छूट रहेगी।

आर. के. चौहान
सचिव, यूजीसी

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UGC (MINIMUM STANDARDS AND PROCEDURE FOR AWARDS OF M.PHIL/PH.D. DEGREE), REGULATION, 2009

New Delhi-110002, the 1st June 2009

F. 1-1/2002 (PS) Exemp.—In exercise of the powers conferred by clause (e) & (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

Short Title, Application and Commencement :

1. These regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree), Regulations 2009.
2. They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under clause (1) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and every Institution deemed to be a University under section 3 of the said Act.
3. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette of India.
4. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall be eligible for conducting M.Phil. and Ph.D. Programmes.
5. Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or regulation, for the time being in force, no University, Institution, Deemed to be University and College/Institution of National Importance shall conduct M.Phil and Ph.D Programmes through distance education mode.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR M. PHIL./PH.D. SUPERVISOR

6. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall lay down the criteria for the faculty to be recognized as Research Supervisor both for M.Phil and Ph.D. Programmes.
7. All Univesities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall lay down and decide on annual basis, a predetermined and manageable number of M.Phil and doctoral students depending on the number of the available eligible Faculty Supervisors. A Supervisor shall not have, at any given point of time, more than Eight Ph.D Scholars and Five M.Phil. Scholars.
8. The number of seats for M.Phil and Ph.D. shall be decided well in advance and notified in the University website or advertisement. All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall widely advertise the number of available seats for M.Phil/Ph.D studies and conduct admission on regular basis.

PROCEDURE FOR ADMISSION

9. (i) All Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance shall admit M.Phil doctoral students through an Entrance Test conducted at the level of individual University, Institution, Deemed to be University, College/Institution of National Importance. The University may decide separate terms and conditions for those students who qualify UGC/CSIR (JRF) Examination/SLET/GATE/teacher fellowship holder or have passed M.Phil Programme for Ph.D. Entrance Test. Similar approach may be adopted in respect of Entrance Test for M.Phil Programme.

   (ii) It shall be followed by an interview to be organized by the School/Department/Institution/University as the case may be.

   (iii) At the time of inverview, doctoral candidates are expected to discuss their research interest/area.

   (iv) Only the predetermined number of students may be admitted to M.Phil/Ph.D programme.

10 The admission to the Ph.D Programme would be either directly or through M.Phil Programme.

11. While granting admission to students to M.Phil/Ph.D. Programmes, the Department/Institute/School will pay due attention to the National/State Reservation Policy.

ALLOCATION OF SUPERVISOR

12. The allocation of the supervisor for a selected student shall be decided by the Department in a formal manner depending on the number of student per faculty member, the available specialization among the faculty supervisors, and the research interest of the student as indicated during interview by the student. The allotment/allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.

COURSE WORK

13. After having been admitted, each M.Phil/Ph.D student shall be required by the Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance, as the case may be, to undertake course work for a minimum period of one semester. The course work shall be treated as pre M.Phil/Ph.D preparation and must include a course on research methodology which may include quantitative methods and Computer Applications. It may also involve reviewing of published research in the relevant field. The individual Universities, Institutions, Deemed to be Universities and Colleges/Institutions of National Importance, as the case may be, shall decide the minumum qualifying requirement for allowing a student to proceed further with the writing of the dissertation.

If found necessary, course work may be carried out by doctoral candidates in sister Departments/ Institutes either within or outside the University for which due credit will be given to them.

EVALUATION AND ASSESSMENT METHODS

14. Upon satisfactory completion of course work and research methodology, which shall form part & parcel of M.Phil/Ph.D. Programme, the M.Phil/Ph.D Scholar shall undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned.

15. Prior to submission of the thesis, the student shall make a pre-M.Phil/Ph.D presentation in the Department that may be open to all faculty members and research students, for getting feedback and comments, which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.

16. Ph.D candidates shall publish one research paper in a referred Journal before the submission of the thesis/monograph for adjudication, and produce evidence for the same in the form of acceptance letter or the reprint.

17. The thesis produced by the M.Phil/Ph.D student in the Institutions/Departments and submitted to the University, Instituion, Deemed to be University, College/Institution of National Importance, as the case may be, shall be evaluated by at least two experts, out of which at least one shall be from outside the State. It shall be upto the University, Institution, Deemed to be University, College/Institution of National Importance concerned to have one examiner from outside the Country.

18. On receipt of satisfactory evaluation reports, M.Phil/Ph.D students shall undergo a viva voce examination which shall also be openly defended.

DEPOSITORY WITH UGC

19. Following the successful completion of the evaluation process and announcements of the award of M.Phil/Ph.D, the University shall submit a soft copy of the M.Phil/Ph.D thesis to the UGC within a period of thirty days, for hosting the same in INFLIBNET, accessible to all Institutions/Universities.

20. Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution Deemed to be University, College/ Institution of National Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC.

R. K. CHAUHAN
Secy., U.G.C.

UGC (MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED FOR THE APPOINTMENT AND CAREER ADVANCEMENT OF TEACHERS IN UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS AFFILIATED TO IT) (3rd AMENDMENT), REGULATION 2009.

F. 1-1/2002 (PS) Exemp.—In exercise of the powers conferred by clause (e) & (g) of sub-section (1) of Section 26 read with Section 14 of University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (1st Amendment), Regulation, 2002 dated 31st July, 2002 and University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (2nd Amendment), Regulation, 2006 dated 14.06.2006, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) Regulation, 2000, namely :—

Short Title, Application and Commencement :

1. These regulations may be called University Grants Commission (Minimum qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (3rd Amendment), Regulation 2009.

2. They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act 1956, and every Institution deemed to be a University under section 3 of the said Act.

3. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette of India.

4. In the ANNEXURE to the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) Regulation, 2000, the following was provided in the Note to Regulation 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 and 1.6.1 :

> "NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D degree. However, the candidates who have completed M.Phil degree or have submitted Ph.D. thesis in the concerned subject upto 31st December, 1993 are exempted from appearing in the NET examination."

The said Note to Regulation 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 and 1.6.1 was substituted by the following para, vide University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (1st Amendment), Regulation 2002 :

> "NET shall remain compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. Degree. However, the candidates who have completed M.Phil. Degree by 31st December, 1993 or have submitted Ph.D. thesis to the University in the concerned subject on or before 31st December, 2002 are exempted from appearing in the NET examination. In case such candidates fail to obtain Ph.D. Degree, they shall have to pass the NET examination."

Further, the above provision brought in to effect by the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (1st Amendment), Regulation 2002, was further substituted by the following provision of the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in Universities and Institutions affiliated to it) (2nd Amendment), Regulation 2006 :

> "NET shall remain compulsory requirement for appointment as Lecturer even for those with Post Graduate Degree. However, the candidates having Ph.D Degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M.Phil. Degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only."

Now, the above provison shall be substituted by the following paragraph :

"NET/SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Lecturers in Universities/Colleges/Institutions.

Provided, however, that candidates, who are or have been awarded Ph.D. Degree in compliance of the "University Grants Commission (minimum standards and procedure for award of Ph.D Degree), Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/ Institutions."

R. K. CHAUHAN
Secy., U.G.C.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016

{11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग–III, धारा–4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में}

मि0 सं. 1–2/2009 (ई0 सी0/पी0 एस0) V (I) Vol. II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) तथा खंड (च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा 11 से 17 जुलाई, 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग–III, धारा–4) में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम सृजित करता है, नामतः:–

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/ पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

1.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित हैं, तथा ऐसा प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय एवं जो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान है।

1.3 सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएंगे।

2. एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडः

2.1 एम0फिल0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यावसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम कुल 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की

गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

2.2 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभन्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer) से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5%की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं हैं।

3. **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड**

इन विनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अध्याधीन, निम्नवत व्यक्ति पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं:

3.1 उपरोक्त धारा 2 के अन्तर्गत विनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक।

3.2 एम0फिल0 पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम0फिल0 उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पीएच0डी0 उपाधि अर्जित कर सकें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभन्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer)/पृथक रुप से निशक्त से संबद्ध हैं अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंकों तक अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

3.3 कोई व्यक्ति जिसके एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लंबित है, उसे उसी संस्थान के पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है;

3.4 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम0फिल0 उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदे"ाी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4. **पाठ्यक्रम की अवधिः**

4.1 एम0फिल0 पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (02) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार (04) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी।

4.2 पीएच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

4.3 उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त समय विस्तारण को उन सापेक्ष धाराओं द्वारा अभिशासित किया जाएगा जो कि संबंधित संस्थान की सांविधि/अध्यादेश में विनिर्धारित हैं।

4.4 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें एम0फिल0 में एक वर्ष की तथा पीएच0डी0 के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम0फिल0/पीएच0डी0 की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. **प्रवेश हेतु प्रक्रियाः**

5.1 सभी विश्वविद्यालय एवं मानित वि"वविद्यालय संस्थान उस सम्बद्ध वि"वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान के स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम0फिल0/पीएच0डी0 छात्रों को प्रवेश उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा हेतु पृथक निबन्धन एवं शर्तों का निर्णय करेगा, जिन छात्रों ने यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी–सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लैट/गैट/ि"ाक्षक अध्येतावृत्ति अथवा जिन्होंने एम0फिल0 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है।

5.2 उपर्युक्त उप–खण्ड 1.2 में संदर्भित उच्च शैक्षिक संस्थान तथा उनके तहत महाविद्यालय जिन्हें एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति है, वे :–

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में एम0फिल0 और/अथवा पीएच0डी0 शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा विद्वान शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा;

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी करें जिनमें से एक (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में हो;

5.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किये जाएंगे।

5.4 उपर्युक्त उपखण्ड 1.2 में संदर्भित संस्थान तथा महाविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देंगे:

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50% अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक संस्थान/महाविद्यालय को दी जानी चाहिए) जो कि सम्बद्ध उच्च शैक्षिक संस्थान के स्तर पर हो, जैसा कि धारा 1.2 में संकेत दिया गया है; एवं

5.4.2 जिस समय अभ्यर्थियों के लिए उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर कोई चर्चा एक विधिवत् गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण माध्यम से की गई हो तो उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा एक साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार संचालित किया जाएगा जैसा कि उपरोक्त धारा 1.2 में संकेत दिया गया है।

5.5 साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा, अर्थात् क्या:

5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है;

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक संस्थान/महाविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण: शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि।

6.1 मानित विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान/महाविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक आचार्य जो पीएच0डी0 उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों अथवा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो संस्थान किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल संबधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक विद्वानों की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा विद्वानों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

6.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में तीन (03) एम0फिल0 तथा आठ (08) पीएच0डी0 शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है। कोई भी सह आचार्य, शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम दो (02) एम0फिल0 तथा छह (06) पीएच0डी0 शोधार्थियों को

मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक(01) एम0फिल0 और चार(04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7. **पाठ्यक्रम संबंधी कार्य** : श्रेय अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि।

7.1 एम0फिल0 और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जाएंगे।

7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को एम0फिल0/पीएच0डी0 की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को एम0फिल0/पीएच0डी0 के लिए तैयार करेंगे।

7.3 एम0फिल0 और पीएच0डी0 के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

7.4 ऐसे विभाग जहां विद्वान अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोध विद्वानों को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप–खण्ड 8.1 में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम(ों) को विहित करेंगे।

7.5 एम0फिल0 तथा पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा दो सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.6 पहले ही एम0फिल0 उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, अथवा जिन्होंने पहले ही एम0फिल0 में पाठ्यक्रम संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पीएच0डी0 समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच0डी0 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा संस्थान/महाविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

7.8 किसी एम0फिल0/पीएच0डी0 शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है समकक्ष ग्रेड/सीजीपीए) प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने होंगे।

8. **शोध सलाहकार समिति तथा इसके प्रकार्यः**

8.1 संबंधित संस्थान के परिनियम/अध्यादेश में यथा परिभाषित, प्रत्येक एम0फिल0 और पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति, अथवा एक समकक्ष निकाय होगा। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगेः

8.1.1 शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना;

8.1.2 शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम(ों) की पहचान कराना।

8.1.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

8.2 शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा छह मासिक प्रगति रिपोर्ट संस्थान/महाविद्यालय को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी।

8.3 यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध

सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर संस्थान/महाविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

9. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि

9.1 एम0फिल0. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

9.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 7.8 उप धाराओं में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, एम0फिल0/पीएच0डी0

शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा तथा इन विनियमों के आधार पर संबंधित संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

9.3 शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकर समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए।

9.4 मूल्यांकन किए जाने हेतु शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व एम0फिल0 शोधार्थी किसी सम्मेलन/संगोष्ठी में कम से कम एक (01) शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पीएच0डी0 शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

9.5 संस्थान की शिक्षा परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9.6 किसी भी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये एम0फिल0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम एक ऐसे बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित नहीं हो। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक साक्षात्कार, दोनों परीक्षकों द्वारा एक साथ किया जाएगा, जिसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग के संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.7 शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच0डी0 शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संस्थान/महाविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपार्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

9.8 शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षक(ों) की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। एम0फिल0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

9.9 संस्थान उपर्युक्त पद्धति विकसित करेंगे ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एम0फिल0 शोध प्रबंध/पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

10. एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

10.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

10.2 महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनके संबंधित विभाग में कम से कम दो पीएच0डी0 अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हों तथा इन विनियमों के अनुरूप उप–खण्ड 10.3 में यथा विनिर्दिष्ट साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्र''ासनिक तथा शोध संर्वधन सुविधाएं मौजूद हों, उन्हें एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के उन्हें पात्र माना जाएगा। इसके साथ–साथ महाविद्यालयों को उन संस्थानों से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके तहत वे कार्य करते हैं।

10.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले महाविद्यालय ही एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे:

10.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में, संबंधित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरण से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रयोगशालाएं जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य सॉफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए;

10.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित चिन्हित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई–जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए;

10.3.3 संस्थान/महाविद्यालय आसपास के संस्थानों/महाविद्यालयों की अपेक्षित सुविधाओं तक पहुंच बना सकते हैं अथवा उन संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधाएं है।

11. दूरस्थ शिक्षा पद्धति/अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0/एम0फिल0 उपाधि का संचालन

11.1 वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी नियम अथवा विनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बाबजूद कोई भी विश्वविद्यालय, संस्थान, मानित वि''वविद्यालय एवं महाविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम0फिल0 और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

11.2 अंशकालिक आधार पर पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच0डी0 विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

12. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रदान की गयीं एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधियॉं अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां

12.1 ऐसे अभ्यर्थी जो एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए जुलाई, 11 2009 को अथवा उसके प''चात्, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, इन यूजीसी (एम0फिल/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं विधि) विनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

12.2 यदि विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान की जाती है तो ऐसी उपाधि पर विचार करने हेतु भारतीय संस्थान उस मामले को अवार्ड की गई उपाधि की समुतल्यता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उस मामले को संबंधित संस्थान द्वारा गठित स्थायी समिति को भेजेगा।

13. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

13.1 एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात तथा एम0फिल0 /पीएच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, सम्बद्ध संस्थान एम0फिल0 /पीएच0डी0 शोध प्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित(होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

13.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

प्रो. जसपाल एस. सन्धू,सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./143 (113)]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2016

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D Degrees) Regulations, 2016

{In supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, notified in The Gazette of India [No. 28, Part III- Section 4] for the week July 11-July 17, 2009}

No. F. 1-2/2009(EC/PS)V(I) Vol. II - In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, notified in The Gazette of India [No. 28, Part III-Section 4] for the week July 11 — July 17, 2009, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title, Application and Commencement:

1.1 These Regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016.

1.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act , every affiliated college, and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of UGC Act, 1956.

1.3 They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. Eligibility criteria for admission to the M.Phil. programme:

2.1 Candidates for admission to the M.Phil. programme shall have a Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

2.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC(non-creamy layer)/Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

3. Eligibility criteria for admission to Ph.D.programme:

Subject to the conditions stipulated in these Regulations, the following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

3.1 Master's Degree holders satisfying the criteria stipulated under Clause 2 above.

3.2 Candidates who have cleared the M.Phil. course work with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and successfully completing the M.Phil. Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph. D. Degree in the same Institution in an integrated programme. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC(non-creamy layer)/differently-abled and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

3.3 A person whose M.Phil. dissertation has been evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the Ph.D. programme of the same Institution;

3.4 Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. programme.

4. Duration of the Programme:

4.1 M.Phil. programme shall be for a minimum duration of two (2) consecutive semesters / one year and a maximum of four (4) consecutive semesters / two years.

4.2 Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three years, including course work and a maximum of six years.

4.3 Extension beyond the above limits will be governed by the relevant clauses as stipulated in the Statute/Ordinance of the individual Institution concerned.

4.4 The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of one year for M.Phil and two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil/Ph.D. for up to 240 days.

5. Procedure for admission:

5.1 All Universities and Institutions Deemed to be Universities shall admit M.Phil/Ph.D. students through an Entrance Test conducted at the level of Individual University/Institution Deemed to be a University. The University/Institution Deemed to be a University may decide separate terms and conditions for Ph.D. Entrance Test for those students who qualify UGC-NET (including JRF)/UGC-CSIR NET (including JRF)/SLET/GATE/teacher fellowship holder or have passed M.Phil programme. Similar approach may be adopted in respect of Entrance Test for M.Phil programme.

5.2 Higher Educational Institutions (HEIs) referred to in sub-clause 1.2 above and Colleges under them which are allowed to conduct M.Phil. and/or Ph.D. programmes, shall:

5.2.1 decide on an annual basis through their academic bodies a predetermined and manageable number of M.Phil. and/or Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar- teacher ratio (as indicated in Para 6.5), laboratory, library and such other facilities;

5.2.2 notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

5.2.3 adhere to the National/State-level reservation policy, as applicable.

5.3 The admission shall be based on the criteria notified by the Institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

5.4 HEIs as mentioned in Clause 1.2 shall admit candidates by a two stage process through:

5.4.1 An Entrance Test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be

subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centres, if any, also to be notified well in advance) at the level of the individual HEI as mentioned in clause 1.2; and

5.4.2 An interview/*viva-voce* to be organized by the HEI as mentioned in clause 1.2 when the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Department Research Committee.

5.5 The interview/*viva voce* shall also consider the following aspects, viz. whether:

5.5.1 the candidate possesses the competence for the proposed research;

5.5.2 the research work can be suitably undertaken at the Institution/College;

5.5.3 the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

5.6 The University shall maintain the list of all the M.Phil. / Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

6. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co- Supervisor, Number of M.Phil./Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

6.1 Any regular Professor of the University/Institution Deemed to be a University/College with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university/institution deemed to be a university/college with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor.

Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

6.2 Only a full time regular teacher of the concerned University/Institution Deemed to be a University/College can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

6.3 The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/*viva voce*.

6.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

6.5 A Research Supervisor/Co-supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than three (3)M.Phil. and Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of two (2) M.Phil. and six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of one (1) M.Phil. and four (4) Ph.D. scholars.

6.6 In case of relocation of an M.Phil/Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

7. Course Work: Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

7.1 The credit assigned to the M.Phil. or Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.

7.2 The course work shall be treated as prerequisite for M.Phil./Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for M.Phil./Ph.D. degree.

7.3 All courses prescribed for M.Phil. and Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

7.4 The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee, as stipulated under sub-Clause 8.1 below, of the research scholar.

7.5 All candidates admitted to the M.Phil. and Ph.D. programmes shall be required to complete the course work prescribed by the Department during the initial one or two semesters.

7.6 Candidates already holding M. Phil. degree and admitted to the Ph.D. programme, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the Department from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department.

7.7 Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the Institution/College.

7.8 A M.Phil./Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the dissertation/thesis.

8. Research Advisory Committee and its functions:

8.1 There shall be a Research Advisory Committee, or an equivalent body for similar purpose as defined in the Statutes/Ordinances of the Institution concerned, for each M.Phil. and Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. This Committee shall have the following responsibilities:

8.1.1 To review the research proposal and finalize the topic of research;

8.1.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

8.1.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.

8.2 A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the Institution/College with a copy to the research scholar.

8.3 In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the Institution/College with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

9. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:

9.1 The overall minimum credit requirement, including credit for the course work, for the award of M.Phil. degree shall not be less than 24 credits.

9.2 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 7.8 above, as the case may be, the M.Phil./Ph.D. scholar shall be required to undertake research work

and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on these Regulations.

9.3 Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

9.4 M.Phil scholars shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar and Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

9.5 The Academic Council (or its equivalent body) of the Institution shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

9.6 The M.Phil. dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the Institution/College. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by both of them together, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/ researchers.

9.7 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are not in employment of the Institution/College, of whom one examiner may be from outside the country. The *viva-voce* examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.

9.8 The public *viva-voce* of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the *viva-voce* examination. If the evaluation report of the external examiner in case of M.Phil. dissertation, or one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend *viva-voce*, the Institution shall send the dissertation/ thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the *viva-voce* examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the dissertation/ thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

9.9 The Institutions shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. dissertation/ Ph.D. thesis within a period of six months from the date of submission of the dissertation/thesis.

10. Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by Colleges for getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programmes:

10.1 Colleges may be considered eligible to offer M.Phil./Ph .D programmes only if they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure and supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations.

10.2 Post-graduate Departments of Colleges, Research laboratories of Government of India/State Government with at least two Ph.D. qualified teachers/scientists/other academic staff in the Department concerned along with required infrastructure, supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations, stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. programmes. Colleges should additionally have the necessary recognition by the

Institution under which they operate to offer M.Phil/Ph.D. programme.

10.3 Colleges with adequate facilities for research as mentioned below alone shall offer M.Phil./Ph. D. programmes:

10.3.1 In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential software, and uninterrupted power and water supply;

10.3.2 Earmarked library resources including latest books, Indian and International journals, e-journals, extended working hours for all disciplines, adequate space for research scholars in the Department/ library for reading, writing and storing study and research materials;

10.3.3 Colleges may also access the required facilities of the neighbouring Institutions/Colleges, or of those Institutions/Colleges/R&D laboratories/Organizations which have the required facilities.

11. Treatment of Ph.D / M.Phil. through Distance Mode/Part-time:

11.1 Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or Regulation, for the time being in force, no University; Institution, Deemed to be a University and College shall conduct M.Phil. and Ph.D. Programmes through distance education mode.

11.2 Part-time Ph.D will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant Ph.D Regulations are met.

12. Award of M.Phil./Ph.D. degrees prior to Notification of these Regulations, or degrees awarded by foreign Universities:

12.1 Award of degrees to candidates registered for the M.Phil./Ph.D. programme on or after July 11, 2009 till the date of Notification of these Regulations shall be governed by the provisions of the UGC (Minimum Standards and procedure for Awards of M.Phil/Ph.D Degree) Regulation, 2009.

12.2 If the M.Phil./Ph.D. degree is awarded by a Foreign University, the Indian Institution considering such a degree shall refer the issue to a Standing Committee constituted by the concerned institution for the purpose of determining the equivalence of the degree awarded by the foreign University.

13. Depository with INFLIBNET:

13.1 Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the M.Phil./Ph.D. degree(s), the Institution concerned shall submit an electronic copy of the M.Phil. dissertation /Ph. D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

13.2 Prior to the actual award of the degree, the degree-awarding Institution shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2016.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./143(113)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240086
CG-DL-E-07112022-240086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/ कार्तिक 16, 1944
No. 544] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/ KARTIKA 16, 1944

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022

क्रम मि. स० 1–3/2021 (क्यूआईपी).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (च) एवं (छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और इसके संशोधनों के प्रतिस्थापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः –

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन–

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित है, तथा ऐसा प्रत्येक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान हैं।

(3) ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएं–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

क) ''अधिनियम'' का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

ख) अनुबंधक संकाय" का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया

है;

ग) "संचित ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाता है;

घ) ''क्रेडिट'' का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन–क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता है;

ङ) ''महाविद्यालय'' का अर्थ है उच्चतर शिक्षण और/या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है;

च) ''आयोग'' का अर्थ यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;

छ) ''पाठ्यक्रम'' का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती हैं;

ज) ''कोर्स वर्क'' का अर्थ है स्कूल/विभाग/केंद्र द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम;

झ) ''उपाधि'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

ञ) ''बाह्य परीक्षक'' का अर्थ है एक शिक्षाविद/छात्रवृति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ उस उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है;

ट) ''विदेशी शैक्षिक संस्थान'' का अभिप्राय– (प) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (पप) जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से।

ठ) ''ग्रेड प्वाइंट'' का अर्थ है 10–बिंदु पैमाने पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित संख्यात्मक भार;

ड) ''गाइड/शोध पर्यवेक्षक'' का अर्थ है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करे।

ढ) ''उच्चतर शिक्षण संस्थान'' का अर्थ इन विनियमों के विनियम 1 के खंड 2 के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान है;

ण) "अंतर्विषयक शोध'' का अर्थ है दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किया गया शोध;

त) ''मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम'' का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 के तहत परिभाषित है;

थ) ऑनलाइन माध्यम का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 के तहत परिभाषित है;

द) ''साहित्यिक चोरी'' का अर्थ है किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराना।

ध) ''कार्यक्रम'' का अर्थ अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;

न) ''विवरण–पुस्तिका'' का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो;

प) ''शोध प्रस्ताव'' का अर्थ है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

फ) ''विश्वविद्यालय'' का अर्थ एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम, या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित एक उच्चतर शिक्षण संस्थान है, और इसमें अधिनियम की धारा 3 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने वाला उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में परिभाषित और इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा।

3. **पीएच.डी.कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड** – निम्नवत अभ्यर्थी पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :–

(1) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है:–

i). 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1–वर्ष/2–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3–वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2–वर्षीय/4–सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55: अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5: अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75: अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय–समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5: अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2)एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55: अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी–ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

4. कार्यक्रम की अवधि–

(1) पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40: से अधिक विकलांगता वाले) को दो (2) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश की प्रक्रिया–

(1) प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

(2) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता हैः

(क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

और/या

(ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में 50ः प्रश्न शोध पद्धति तथा 50ः विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे।

(ग) प्रवेश परीक्षा में 50ः अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(घ) आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5ः अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ड) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं।

(च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए 70ः और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30ः का महत्व दिया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएच.डी. कार्यक्रम चलाने के पात्र है, वेः

i. दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषय–वार संवितरण, दाखिले का मानदंड, दाखिले की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी संगत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरण–पुस्तिका को पहले से ही सूचित करेंगे;

ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

(4) उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची का रख–रखाव (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग/स्कूल/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), पीएच.डी. के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ (पंजीकृत पीएच.डी. छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए) अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेंगें।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण–शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, आदि।

(1) उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें वि"वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हों सकते हैं, पर वहां वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाएँ नहीं है, या केवल सीमित संख्या में हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।

एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह–पर्यवेक्षकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

अनुबंध संकाय सदस्य (एडजंक्ट फैकल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(2) अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/स्कूल/केंद्र/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (8)/छह (6)/चार (4) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते है।

(4) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी.महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान के पूर्व में किए गए शोध कार्य के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(5) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

7. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश –

(1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थियों की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड 6.3 में निर्दिष्ट है।

(2) उच्चतर शिक्षण संस्थान संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिले के लिए अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

8. किसी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या, एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह–पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या खंड 6.3 और खंड 7.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

9. कोर्स वर्क– क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड आदि।

(1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें ''शोध और प्रकाशन नैतिकता'' कोर्स, जैसा कि यूजीसी द्वारा डी.ओ. मि० सं० 1–1/2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती हैं।

(2) सभी पीएच.डी. शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते है।

(3) एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंधन (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम 55: अंक या यूजीसी 10–पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

10. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य–

(1) प्रत्येक पीएच.डी. छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी या समकक्ष निकाय, जैसा कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के कानूनों/अध्यादेशों में परिभाषित किया गया है। पीएच.डी. शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक इस समिति के संयोजक होंगे और इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगेः

i. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

ii. शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम (ओं) की पहचान कराना।

iii. पीएच.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता करना।

(2) प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पीएच.डी. शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करेंगे और प्रस्तुति देंगे। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी सिफारिशें संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगी। ऐसी सिफारिशों की एक प्रति पीएच.डी. शोधार्थी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि पीएच.डी. शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारण दर्ज कर पीएच.डी. शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

11. उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट, आदि–

(1) पाठ्यक्रम का काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने और उपरोक्त विनियम 9 के खंड (3) में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(2) शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व, पीएच.डी. शोधार्थी संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य तथा अन्य शोधार्थी/विद्यार्थी उपस्थित होंगे।

(3) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के पास शोध कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र का होना आवश्यक है और शोध सत्यनिष्ठा पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के निमित सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा।

(4) पीएच.डी. शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ (क) शोधार्थी से एक वचनवद्धता प्राप्त करना होगा जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है और, (ख) शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध प्रबंध/थीसिस की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि यह शोध प्रबंध किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा के पाठ्यक्रम करने के लिए थीसिस जमा नहीं किया गया है।

(5) किसी भी पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनको संबंधित विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की सुकीर्ति प्राप्त हो। यथासंभव, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा में बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा और यह ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण/संकाय सदस्य/शोध अन्य शोधार्थियों तथा छात्र भाग ले सकते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान इस विनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त नियम/अध्यादेश तैयार कर सकते हैं।

(6) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में आयोजित की जाएगी जब दोनों बाह्य परीक्षक उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं। यदि इन बाह्य परीक्षकों में से कोई एक अस्वीकृति की सिफारिश करता है, तो संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान परीक्षकों के अनुमोदित पैनल से एक वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को थीसिस भेजेगा और मौखिक परीक्षा केवल तभी

आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश करता है। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और पीएच.डी शोधार्थी को पीएच.डी. के अवार्ड के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(7) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया वाइवा–वॉयस परिणाम की घोषणा सहित पीएच.डी. थीसिस, थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

12. पीएच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं–

(1) वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो 4–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं, पीएच.डी. कार्यक्रम चला सकते हैं। बशर्ते, वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों, अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हों।

(2) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित वे महाविद्यालय और शोध संस्थान जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश कर सकेंगे, बशर्ते कि उनके पासः–

i. एक महाविद्यालय में कम से कम दो संकाय सदस्य या शोध संस्थान में दो पीएच.डी. उपाधि धारक वैज्ञानिक होने चाहिए।

ii. उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायता, अनुसंधान सुविधाएं और पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था हो।

13. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.–

(1) अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो किः

i. उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

ii. उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

iii. यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का शोध संस्थान दूरस्थ और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

14. एम.फिल.उपाधि की स्वीकृति– उच्चतर शिक्षण संस्थान एम.फिल.(मास्टर ऑफ फिलॉसफी) उपाधि प्रदान नहीं करेंगे।

15. अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना– उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला उच्चतर शिक्षा संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

16. इन विनियमो की अधिसूचना से पूर्व पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना– इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.फिल उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच.डी. पाठ्क्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके प्श्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2016, जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच.डी. कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2016 के प्रावधानो द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम.फिल उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. **इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी**– पीएच.डी. उपाधि(यों) को अवार्ड करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. शोध प्रबंधन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी उच्चतर और अनुसंधान संस्थानों को यह सुलभ हो।

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./367/2022-23]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedures forAward of Ph.D. Degree)

Regulations, 2022

No. F. No. 1-3/2021(QIP).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil. /Ph.D. Degree) Regulations, 2016 and its amendments, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Short title, Application, and Commencement. –

(1) These Regulations may be called University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022.

(2) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, every college, and every institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions.- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

a) "Act" means the University Grants Commission Act,1956 (3 of 1956);

b) "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach by a Higher Educational Institution;

c) "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of allcourses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;

d) "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;

e) "College" means an institution engaged in higher education and/or research, either established by a University as its constituent unit or is affiliated with it;

f) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the UGC Act1956;

g) "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;

h) "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree;

i) "Degree" means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22 (3) of the Act;

j) "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of the Higher Educational Institutionwhere the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme;

k) "Foreign Educational Institution" means–(i) an institution duly established or incorporated in its home

country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode;

l) "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale;

m) "Guide/Research Supervisor" means an academician/researcher recognized by Higher Educational Institution to supervise the Ph.D. scholar for his/her research;

n) "Higher Educational Institution" means a university or institution specified under clause 2 of Regulation 1 of these Regulations;

o) "Interdisciplinary Research" means research conducted by a Ph.D. scholar in two or more academic disciplines;

p) "Open and Distance Learning Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

q) "Online Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

r) "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own;

s) "Programme" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under sub-section (3) of section 22 of the Act;

t) "Prospectus" means any document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to a Higher Educational Institution and programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institutions) by the Higher Educational Institutions;

u) "Research Proposal" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme;

v) "University" means a Higher Educational Institution established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act, and shall include any institution for higher education deemed to be a University under Section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in Act and not consistent with these Regulations shall have the meanings assigned to them in that Act.

3. Eligibility criteria for admission to the Ph.D. Programme.-The following are eligible to seek admission to the Ph.D. programme:

(1) Candidates who have completed:

i. A 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed

or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

Provided that a candidate seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

(2) Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its

equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to the Ph.D. programme. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

4. Duration of the Programme.- (1) Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three

(3) years, including course work, and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

(2) A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration as per the Statute/Ordinance of the Higher Educational Institution concerned; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (2) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) yearsfrom the date of admission in the Ph.D. programme.

(3) Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240days in the entire duration of the Ph.D. programme.

5. Procedure for admission. -

(1) The admission shall be based on the criteria notified by the institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory/regulatory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.

(2) Admission to the Ph.D. programme shall be made using the following methods:

i. HEIs may admit students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET/UGC- CSIR NET/GATE/CEED and similar National level tests based on an interview.

And/or

ii. HEIs may admit students through an Entrance Test conducted at the level of the individual HEI. The Entrance Test syllabus shall consist of 50% of research methodology, and 50% shall be subject-specific.

iii. Students who have secured 50 % marks in the entrance test are eligible to be called for the interview.

iv. A relaxation of 5 % marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

v. HEIs may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available.

vi. Provided that for the selection of candidates based on the entrance test conducted by the HEI, a weightage of 70 % for the entrance test and 30 % for the performance in the interview/viva- voce shall be given.

(3) Universities and Colleges which are eligible to conduct Ph.D. programmes, shall:

i. Notify a prospectus well in advance on the institution's website specifying the numberof seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, the procedure for admission, and all other relevant information for the candidates;

ii. Adhere to the National/State-level reservation policy, as applicable.

(4) The Higher Educational Institution shall maintain a list of Ph.D. supervisors (specifying the name of the supervisor, his or her designation, and the department/school/centre), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph.D. scholar, thetopic of his/her research and the date of

admission) admitted under them on the website ofthe institution and update this list every academic year.

6. Allocation of Research Supervisor.- Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per supervisor, etc.

(1) Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor of the Higher Educational Institution with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in Higher Educational Institutions with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the university where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Ph.D. awarded by a university under the supervision of a faculty member who is not an employee of the university or its affiliated Post- graduate Colleges/institutes would be in violation of these Regulations.

For Ph.D. scholars working in Central government/ State government research institutions whose degrees are given by Higher Educational Institutions, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as supervisors if they fulfill the above requirements.

Provided that in areas/disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, the Higher Educational Institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

Co-Supervisors from within the same department or other departments of the same institution or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority.

Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can only act as co-supervisors.

(2) In case of interdisciplinary/multidisciplinary research work, if required, a Co-Supervisor from outside the Department/School/Centre/College/University may be appointed.

(3) An eligible Professor/Associate Professor/Assistant Professor can guide up to eight (8) / six (6) / four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

(4) In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the Higher Educational Institution to which the scholar intends to relocate, provided all the other conditions in these Regulations are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/Supervisor by any funding agency. Such scholar shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

(5) Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

7. Admission of International students in Ph.D. programme.-

(1) Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 6.3 above.

(2) The HEIs may decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by statutory/regulatory bodies concerned from time to time.

8. At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a supervisor or a co-supervisor, shall not exceed the number prescribed in clause 6.3 and clause 7.1.

9. Course Work.- Credit requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

(1) The Credit requirement for the Ph.D. coursework is a minimum of 12 credits, including a "Research and Publication Ethics" course as notified by UGC vide D.O. No. F.1- 1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course. The Research Advisory Committee can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. programme.

(2) All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching /education /pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.

(3) A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

10. Research Advisory Committee and its Functions.- (1)There shall be a Research Advisory Committee or an equivalent body as defined in the Statutes/Ordinances of the Higher Educational Institution concerned for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the Ph.D. scholar concerned shall be the Convener of this committee, and this committee shall have the following responsibilities:

i. To review the research proposal and finalize the topic of research.

ii. To guide the Ph.D. scholar in developing the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

iii. To periodically review and assist in the progress of the research work of the Ph.D.scholar.

(2) Each semester, a Ph.D. scholar shall appear before the Research Advisory Committee to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/her work for evaluationand further guidance. The Research Advisory Committee shall submit its recommendations along with a copy of Ph.D. scholar's progress report to the Higher Educational Institution concerned. A copy of such recommendations shall also be provided to the Ph.D. scholar.

(3) In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

11. Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree,etc.-

(1) Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed inclause (3) of Regulation 9 above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis.

(2) Before submitting the dissertation/thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the Research Advisory Committee of the Higher Educational Institution concerned, which shall also be open to all faculty members and other research scholars/students.

(3) The Higher Educational Institution concerned shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

(4) A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution.

(5) The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners who are experts in the field and not in employment of the Higher Educational Institution concerned. Such examiner(s) should be academics with a good record of scholarly publications in the field. Wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Research Supervisor and at least one of the two external examiners and may be conducted online. The viva-voce shall be open to the members of the Research Advisory Committee/faculty members/research scholars, and students. Higher Educational Institutions may formulate appropriate rules/ordinances to effect the provisions of this Regulations.

(6) The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiners recommends rejection, the Higher Educational Institution concerned shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D.

(7) The Higher Educational Institution concerned shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

12. Academic, research, administrative, and infrastructure requirements to be fulfilled by Colleges for getting recognition for offering Ph.D. programmes.-

(1) Post-graduate Colleges offering 4-year Undergraduate Programmes and/or Post-graduate Programmes, may offer Ph.D. programmes, provided they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure, and supporting administrative and research facilities as per these Regulations.

(2) Colleges and research institutions established by the central government or a State government whose degrees are awarded by Higher Educational Institutions shall offer Ph.D. programmes provided they have:

i. At least two faculty members in a college or two Ph.D.-qualified scientists in the research institution.

ii. Adequate infrastructure, administrative support, research facilities and library resources as specified by the HEI.

13. Ph.D. through Part-time Mode-

(1) Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

(2) The Higher Educational Institution concerned shall obtain a "No Objection Certificate" through the candidate for a part-time Ph.D. programme from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:

i. The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.

ii. His/her official duties permit him/her to devote sufficient time for research.

iii. If required, he/she will be relieved from the duty to complete the course work.

(3) Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other law, for the time being in force, no Higher Educational Institution or research institution of the Central government or a State Government shall conduct Ph.D. programmes through distance and/oronline mode.

14. Grant of M.Phil. Degree.- Higher Educational Institutions shall not offer the M.Phil.(Masterof Philosophy) programme.

15. Issuing a Provisional certificate.-Prior to the actual award of the Ph.D. degree, the degree- awarding Higher Educational Institution shall issue a provisional certificate to the effect that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of these Regulations.

16. Award of Ph.D. degrees prior to Notification of these Regulations.- Award of degrees to candidates registered for the Ph.D. programme on or after July 11, 2009, till the date of Notificationof these Regulations shall be governed by the provisions of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulations, 2016 as the case may be. Further, the award of degrees to candidates already registered and pursuing Ph.D. shall be governed by these Regulations or UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2016. Nothing in these Regulations shall impact the M.Phil. degree programmes commencing prior to the enactment of these Regulations.

17. Depository with INFLIBNET.- Following the successful completion of the evaluation processand before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the Higher Educational Institution concerned shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to INFLIBNET, for hostingthe same so as to make it accessible to all the Higher Educational Institutions and research institutions.

RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./367/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.